प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार पर अटकलें

कार्य समिति की बैठक में होगा फैसला, विस्तार विस सत्र के पहले या बाद

इंदौर। मध्यप्रदेश मंत्रि मंडल विस्तार को लेकर अटकलें चल रही है. पार्टी के कुछ नेता विधानसभा सत्र के पहले और कुछ बाद में विस्तार चाहते हैं. विधानसभा सत्र 6 जुलाई से शुरू हो रहा है. विस्तार कब होगा यह फैसला 27-28 जून को भाजपा कार्यसमिति की बैठक में लिया जाएगा. मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार की चल रही अटकलों पर असमंजस बरकरार है. पूर्व में संभावना थी कि 6 जुलाई से आहूत विधानसभा सत्र के पूर्व ही मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाएगा. मगर पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की आपत्ति के चलते मामला उलझ गया. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं से इस संबंध में चर्चा कर ली है और मंत्रिमंडल में लिये जाने वालों लोगों के बारे में भी लगभग सहमति ले ली है. लेकिन समझा जाता है कि राज्य सभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार विधानसभा सत्र के बाद किये जाने के निर्देश मुख्यमंत्री को वरिष्ठ नेताओं ने दिये हैं. अतः अभी विस्तार का मामला खटाई में पड़ गया है. संभावना है कि इस मामले में हो रही प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भी चर्चा होगी.

कौन होगा इंदौर से मंत्री...

मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच इंदौर से मंत्री कौन होगा इस पर भी अटकलें लगने लगी है. सूत्रों के अनुसार महेन्द्र हार्डिया, सुदर्शन गुप्ता और मालिनी गौड़ दौड़ में है. महेन्द्र हार्डिया को जहां सुमित्रा महाजन का समर्थन हांसिल है वहीं से जिले के वरिष्ठ विधायक भी है, जबकि श्रीमती गौड़ और गुप्ता पहली बार विधायक बने हैं. मुख्यमंत्री चौहान गौड़ के पक्ष में है. जबकि प्रदेशाध्यक्ष तोमर और संगठन मंत्री माखनसिंह गुप्ता को मंत्री बनाना चाहते हैं.

पहले पेज से जारी...

राज्यपाल, लोकायुक्त और महाधिवक्ता पर एक साथ बदलाव

लोकायुक्त का पद ऐसा बड़ा संवैधानिक पद है जो भय, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने में लोगों को मददगार होता है, वह बड़े से बड़े ओहदेदार के खिलाफ भी प्रकरण और जांच चला सकता है, जब उस पद पर बैठा व्यक्ति ही भ्रष्टाचार, अनुचित दबाव और परिवार को लाभ पहुंचाने के आरोपों से घिर जाए तो समझा जा सकता है कि इस संवैधानिक पद की मर्यादा भी कलंकित हुई है. खैर रामेश्वर ठाकुर, आरडी जैन और जस्टिस पी.पी. नावलेकर प्रदेश के नये राज्यपाल, महाधिवक्ता और लोकायुक्त बन रहे हैं, अतः उनसे उम्मीद की जानी चाहिए कि ये तीनों मध्यप्रदेश होने से बचायेंगे. ठाकुर का कर्नाटक में राज्यपाल का कार्यकाल बेदाग और गैर विवादित रहा है. जबकि पीपी

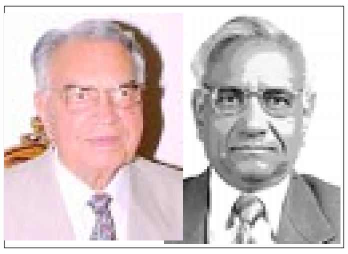

नावलेकर ने म.प्र. उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहते हुए न्यायिक प्रक्रिया को नई ऊंचाईयां दी है. जबकि आर.डी. जैन ग्वालियर के प्रतिष्ठित वकील रहते हुए न्याय के लिये अच्छे पैरवीकार के रूप में ख्यात रहे हैं. अतः इन तीनों की नियुक्ति से यह समझा जाना चाहिए कि प्रदेश में इन पदों पर बैठे लोगों के बीच शुरू हुआ अप्रिय शीत युद्ध थमेगा और ये महानुभाव इन पदों को नई प्रतिष्ठा दिलायेंगे.

१३ अवॉर्ड हासिल किये थे जैक्सन

पहले पेज से जारी...

थ्रिलर और बिली जीन सहित अपने कई सुपर हिट एलबमों से पॉप के बादशाह के नाम से मशहूर माइकल जैक्सन के बिल्कुल नए अंदाज के डांस ने पूरे विश्व में धूम मचा दी थी और दुनिया के अनेक देशों में उनके करोड़ों प्रशंसक मौजूद हैं। माना जाता है कि उनकी लाइफ टाइम रिकार्ड बिक्री लगभग 75 करोड़ डॉलर रही होगी।जैक्सन का मानना था कि वह दिल से पीटर पैन है। बच्चों के साथ उनकी सोहबत, ऊंचे सुर वाली आवाज और बार-बार प्लास्टिक सर्जरी कराने के कारण उनके आलोचक भी काफी थे और उन्हें वैको जैको का उपनाम दिया गया था। माइकल जैक्सन ने 13 ग्रैमी एवार्ड हासिल किए। वह दुनिया के सर्वकालिक सर्वाधिक सफल कलाकारों में शामिल थे। लेकिन उनका जीवन भी विवादों से खाली नहीं था। उनपर बच्चों से दुराचार के आरोप लगे और 2005 में वह इन मामलों से बरी होने के बाद एकान्त जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह 13 जुलाई से लंदन में कंसर्ट की शृंखला शुरू करने वाले थे, जिसका समापन मार्च 2010 में होना था। इसके लिए वह पिछले दो महीने से अभ्यास कर रहे थे। लंदन में उनके 50 कंसर्ट के लिए सभी टिकटों की बिक्री मार्च में कुछ मिनटों के भीतर ही हो गई थी। 29 अगस्त 1958 को इंडियाना के गैरी में जन्मे माइकल जैक्सन अपने माता-पिता के नौ बच्चों में सातवीं संतान थे। पांच जैक्सन बंधुओं जैकी, टिटो, जरमैन, मार्लोन, माइकल ने पहली बार एक साथ एक टैलेन्ट शो में भाग लिया था, उस समय माइकल छह वर्ष के उम्र के थे। इस शो में उन्हें पहला पुरस्कार मिला था, उसके बाद वे सबसे अधिक कमाऊ बैंड बन गए।पहले उन्होंने अपने बैंड का नाम जैक्सन फाइव और बाद में जैक्सन पांच रखा। जैक्सन का पहला एकल एलबम 1972 में निकला और थ्रिलर 1982 में रिलीज हुआ, जो जबर्दस्त हिट रहा और 10 चोटी के एकल प्रदर्शनों में उसे सातवां स्थान मिला। इस एलबम की अमेरिका में दो करोड़ 10 लाख कापियां और दुनियाभर में कम से कम दो करोड़ 70 लाख कापियां बिकी।

अगले साल उन्होंने एक एमबीसी स्पेशल के दौरान बिली जीन का प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रसिद्ध डांस शैली 'मूनवाक' का प्रदर्शन किया। 1994 में जैक्सन ने एलविस प्रिस्ले की एक मात्र पुत्री लीजा मैरी के साथ विवाह किया, लेकिन 1996 में उनका तलाक हो गया। उसी साल जैक्सन ने डैवी रोक के साथ विवाह किया, जिससे उनके दो बच्चे हुए। यह शादी भी 1999 में टूट गई और दोनों कभी एक साथ नहीं रहे।जैक्सन के तीन बच्चे हैं, जिनके नाम प्रिंस माइकल प्रथम, पेरिस माइकल ऑफ प्रिंस माइकल द्वितीय है। जैक्सन के निधन की खबर सुनते ही न्यूयार्कवासियों और पर्यटकों में शोक की लहर दौड़ गई। जैक्सन के एलबम 'थ्रिलर' का संगीत तैयार करने में उनकी मदद करने वाले और उनके 'ऑफ द वाल' एलबम के निर्माता क्विन्सी जोन्स ने एमएसएनबीसी से कहा कि मैं इस शोकाकुल करने वाली अप्रत्याशित खबर के पूरी तरह टूट गया हूं। टाइम्स स्क्वेयर ने न्यूयार्क के ब्रुकलीन के 18 वर्षीय एक छात्र निकोल्स स्मिथ ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कहूं। यह दुखद है। यह वास्तव में बहुत दुखद है। मेरी मां उनके प्रशंसक थीं मैं उनका संगीत सुनता था। लोंग आइलैंड की एक अध्यापिका 51 वर्षीय सू शीडर ने कहा कि मैं कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हूं। जब मैंने पहली बार यह सुना तो मुझे लगा कि कोई मुझसे झूठ बोल रहा है। मैं उनकी उस समय से प्रशंसक हूं जब वह छोटे बच्चे थे, बाद मे तो वह लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए।

ओहदे से बढ़ा तो दायित्व होता है!

चक्रम

सुरेन्द्र बंसल

मप्र या यूं कहें खासकर इंदौर में बढ़ते अपराध के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने एक अहम् फैसले में इंदौर की पुलिस कप्तानी डीआईजी स्तर के अफसर को सौंप कर एसएसपी का नया ओहदा तैयार कर दिया है. इस संभावना को तलाशते हुए कि म.प्र. के इस महानगर का बढ़ता अपराधीकरण इससे रोका जा सकेगा.

ओहदा याने पद वरिष्ठता और उसके निमित्त दायित्व का सूचक है. हर पद का अपना महत्व है और हर पद का दायित्व अलग है या कुछ बढ़कर है. एसपी से बढ़कर निश्चित तौर पर डीआईजी है, लेकिन जिले में तो सर्वेसर्वा एसपी होता है ठीक उसी तरह हर थाना क्षेत्र में थाने का टीआई महत्वपूर्ण होता है. लेकिन टीआई के नीचे एसआई, एसएसआई, हेड कांस्टेबल, बीट इंचार्ज, हवलदार भी उनके निमित्त काम में हेड और वजनदार होते हैं.

वजनदार होने के बहुत मायने हैं. जिसके हाथ में जो बीट है, मामला है, फाइल हैं या कागज है उसकी चाल कैसी होगी यह उस वजनदार अफसर या कर्मचारी पर निर्भर होता है. जैसे हर ओहदे का अपना वजन है वैसे ही हर मामले का भी अपना वजन है. ऐसे वजनदार मामलों के निपटान भी तीन तरह से होते हैं. नियम-कायदे के अंतर्गत कानूनन निपटाया जाए, पेंडिंग रखा जाए याने लटकाया जाए या लेन-देन से खत्म किया जाए. हर काम को निपटाने का एक बायपास भी होता है. उससे भी काम निपटते हैं और उलझते भी हैं.

बायपास का अर्थ ही बे-रोक आगे पास हो जाना या बढ़ जाना है. लोग इसे वीआईपी, राजनीति, पहचान या फेंकफांक के जरिये उपयोग करते हैं. लेकिन थानों में यह बायपास अकसर महंगा पड़ता है. हवलदार-थानेदार हर बायपास करने वालों को पहला शब्द यही कहता है नेतागिरी करना है तो... इस नेतागिरी शब्द में हर बायपास करने वाले की सभी वैरायटी आ जाती है. जाहिर है जिसके पास मामला अटका है वह वजनदार है. मामला एक बार जिस तरह दर्ज हो गया तो सारे बायपास धरे रहे जायेंगे. इस डर से हर इंसान सबसे पहले समझौते की भाषा और याचक के आचरण के ही काम निकालने की कोशिश करता है.

हर थाने में खर्चा-पानी साथ है और आप में याचक के भाव हैं तो काम पहुत जल्दी निपटता है. और नहीं तो एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, या डीजीपी अथवा मंत्री ही क्यों न हो काम की गति, शैली और रवैया वहीं रहेगा और उसी की चलेगी, वही तब वजनदार होगा. आज ही खबर है कि बलात्कार की फरियादी महिला के साथ पुलिस अफसर को भी अदालत ने मामले के अनुसंधान में लापरवाह माना है. एसएसपी की तैनाती के बाद भी लूट, राहजनी, चोरी और गोली चालन जैसी घटनाएं दिन दहाड़े हो रही है. जाहिर है जिसका जैसा वजन अब तक था वैसा ही शहर में चल रहा है. जरूरत दायित्व की है.

दायित्व एक जिम्मेदारी है जिसका बोध पद पर बैठे व्यक्ति को होगा तो वह अपना काम बखूबी कर सकेगा. हर पदासीन व्यक्ति, अफसर, नेता आदि को अपना दायित्व समझना होगा. फिर दफ्तर के चपरासी और थाने के हवलदार से लेकर कलेक्टर, एसएसपी, सचिव या मंत्री तक हर कोई अपने दायित्व को कानून की आंखों से अहसास कर कार्य करेंगे तब ही सुधार नजर आएगा. तब तक आप अपना अधिकार तो बढ़ा लेंगे लेकिन जो अपने अधिकार का उपयोग कानून अनुसार नहीं कर रहे हैं. उन पर लगाम के बगैर आप न सुधार कर सकते हैं और न ही अपराध कम कर सकते हैं. क्योंकि हर ओहदे से बढ़ा और कारगर दायित्व होता हैं जरूरत उसको आचरण में लाने की है.

स्वामी मुद्रक प्रकाशक एवं संपादक उत्तम झंवर द्वारा मे. मोर्या आर्ट प्रा.लि. के लिये अपनी दुनिया प्रिन्टर्स १३, प्रेस काम्पलेक्स एबी रोड इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं ३०५ मोर्या आर्केड १/२ ओल्ड पलासिया, इंदौर में प्रकाशित फोन : ४०४१२६८